

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(44)चिशि/ग्रुप-1/1998


जयपुर, दिनांक 28.03.2017

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 3360/2017 डा.नवीन कुमार सीमतवाल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 8.3.2017 को मध्यनजर रखते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.3.2017 द्वारा क.सं.2 पर अंकित डा.लालचन्द वर्मा पुत्र श्री गोपाल राम बलाई को सहायक आचार्य, फोरेंसिक मेडिसिन के पद पर प्रदान की गई नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाती है।

डा.लालचन्द वर्मा की सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जावेगी।


आज्ञा से,


(डी.एल.तवर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(13)भर्ती/गोपनीयता/2014-15/529 दिनांक 6.3.2016 के संदर्भ में।
4. निदेशक(जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज.जयपुर
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि कृपया पालना रिपोर्ट तुरन्त भिजवाने का श्रम करें।
7. डा. लालचन्द वर्मा पुत्र श्री गोपाल राम बलाई, गांव भादवाडी, तहसील खण्डेला, जिला सीकर मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली


(शम्भू दयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी